

ईखायुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-26.11.2025 को पेराई सत्र 2025-26 में घटतौली रोकने के लिए चीनी मिलों के ईख प्रबंधक, नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना, सभी ईख पदाधिकारियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

समय :- 04:00 बजे अपराह्न।

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार झा, ईखायुक्त, बिहार/नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना/श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, संयुक्त ईखायुक्त/श्री वेदव्रत कुमार, सहायक ईखायुक्त (मु०)/सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन तथा ऑनलाइन के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

सर्वप्रथम ईखायुक्त, बिहार द्वारा रीगा चीनी मिल प्रबंधन से पूछा गया कि पेराई सत्र 2025-26 हेतु आपके द्वारा पथ क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव अबतक क्यों नहीं दिया गया है? रीगा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि बारिश के कारण गन्ना का नुकसान हो गया है इसलिए मिल गेट से गन्ना का उठाव किया जायेगा। इसपर ईखायुक्त द्वारा नराजगी व्यक्त करते हुए मिल प्रबंधन के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। रीगा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से पथ क्रय केन्द्र हेतु एक बैठक कर विचार-विमर्श कर पथ क्रय केन्द्र हेतु प्रस्ताव विभाग को समर्पित किया जायेगा।

बैठक के क्रम में नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि दिनांक-17.11.2025 को क्षेत्रीय माप-तौल पदाधिकारियों के साथ review किया गया जिसमें गन्ना उद्योग विभाग द्वारा जितना भी पथ क्रय केन्द्र चीनी मिलों को आवंटन किया गया है उसे जाँच करने का निदेश दिया गया है।

ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया द्वारा बताया गया कि Weight and Measurement पर एक बैठक जिला पदाधिकारी, बेतिया, प० चम्पारण द्वारा की गयी है, जिसमें माप-तौल विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनके द्वारा सत्यापन किया जाता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिला पदाधिकारी, बेतिया, प० चम्पारण द्वारा माप-तौल विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सत्यापन के पश्चात् पथ क्रय केन्द्र के तौल सेतुओं का प्रमाण पत्र निर्गत करें।

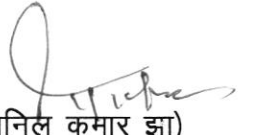
बैठक में ईखायुक्त, बिहार द्वारा माप-तौल विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर पथ क्रय केन्द्र के तौल सेतुओं का प्रमाण पत्र निर्गत करें। साथ ही माप-तौल विभाग द्वारा सभी तौल सेतुओं के calibration मोड में जाँच करने के उपरान्त उसे Switch off कर दिया जायेगा एवं संबंधित तार को काट दिया जायेगा ताकि तौल सेतु के calibration में छेड़-छाड़ न हो सके।

ईखायुक्त द्वारा सभी चीनी मिल को निदेश दिया गया कि मिल गेट एवं पथ क्रय केन्द्र पर किसानों को gross weight का Computerised Slip दिया जाय एवं गन्ने की आपूर्ति के पश्चात् गाड़ी का टेयर कर नेट वेट की Computerised Slip उपलब्ध कराया जाय।

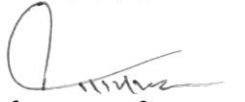
ईखायुक्त द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि सभी चीनी मिल यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पथ क्रय केन्द्रों पर 1 टन का डेड वेट (वाट) अवश्य रखेंगे। यदि कोई जाँच दल किसी पथ क्रय केन्द्र का निरीक्षण करता है और वहाँ डेड वेट (वाट) उपलब्ध नहीं पाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

अंत में ईखायुक्त, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि एक संयुक्त जाँच दल गठित किया जायेगा जिसमें ईख पदाधिकारी एवं माप-तौल के निरीक्षक सदस्य होंगे। जाँच दल गठित होने के पश्चात् समिति के सदस्य संयुक्त रूप से जाकर पथ क्रय केन्द्रों का औचक रूप से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन तैयार कर ईखायुक्त, बिहार एवं नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से भी निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

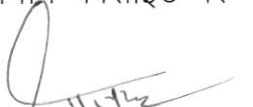
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।


(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु-03-900-10/2024-2162/ईका /पटना, दिनांक- 02 नवंबर, 2025
प्रतिलिपि-सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु-03-900-10/2024-2162/ईका /पटना, दिनांक- 02 नवंबर, 2025
प्रतिलिपि-आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।